भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 865

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

ब्यास और सतलुज नदियों से राजस्थान में जल आपूर्ति

865. श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान को ब्यास और सतलुज नदियों से जल आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राजस्थान में जारी जल संकट को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जी, नहीं। साझेदार राज्यों के बीच रावी-ब्यास नदी के अधिशेष जल का वितरण वर्ष 1981 के समझौते और सतलुज नदी के अधिशेष जल का वितरण वर्ष 1959 के भाखड़ा नांगल समझौते द्वारा नियंत्रित होता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल का विनियमन करता है और साझेदार राज्यों के बीच इन नदियों के जल का वितरण साझेदार राज्यों द्वारा किए गए उक्त अंतर्राज्यीय समझौतों के अनुसार करता है।

(ख) और (ग): राजस्थान को यमुना जल की आपूर्ति हेतु, हथिनीकुंड से भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से चूरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों तक यमुना जल पहुँचाने की परियोजना के लिए संयुक्त रूप से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु हरियाणा और राजस्थान सरकारों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है।

*****